



सेना उडनयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु - 560 037
MARATHAHALLI COLONY P.O, BENGALURU -560 037

वर्ग अनुमोदन सं.: 1995/Type Approval No.: 1995

विषय/Sub: अपग्रेडड नेटो सूट, पार्ट संख्याएं: डीईबी-यूएन-01-00 से डी ई बी -यूएन-08-00 (आठ साईज़)

UPGRADED NATO SUIT, Part Nos.: DEB-UN-01-00 TO DEB-UN-08-00 (Eight Sizes)

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स डिफेंस बायोइंजिनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लबोरटरी (डी ई बी ई एल), डी आर डी ओ, पी बी सं.9326, सी वी रामन नगर, बेंगलूरु - 560 093, द्वारा अभिकल्पित, विकसित तथा मेसर्स एरोनेव इंडस्ट्रियल सेफ्टी एप्लायंसेस, ई-24/25, सेक्टर- VII , नोइडा - 201 301 और मेसर्स नेक्स्ट मिलेनीयम, ई-153, ग्रेटर कैलाश, पार्ट- II, नई दिल्ली-110048, उत्पादित "अपग्रेडड नेटो सूट" पार्ट संख्याएं. डीईबी-यूएन-01-00 से डी ई बी -यूएन-08-00 (आठ साईज़) को निर्धारित अप्रूवड कम्पोनेंट बिल्ड स्टैंडर्ड (ए सी बी एस) दस्तावेज़ संदर्भ सं. डीबीएल/एसीबीएस/4/यूएनएस-1/एएनआईएसए, दिनांक 04 जुलाई 2019 के स्टैंडर्ड ऑफ प्रिपरेशन के अनुसार और आर सी एम ए (वायुयान) द्वारा अनुमोदित तकनीकी विनिर्देश सं. डीईबीईएल/69/2010 दिनांक फरवरी 2010 के अनुकूल वर्ग अनुमोदित/नवीकृत किया जाता है। इस वर्ग अनुमोदन का आधार और संगत उडनयोग्यता अनुमोदन सूचना वर्ग अनुमोदन डेटा शीट के परिशिष्ट-ए में विवरित किया गया है।

This is to state that "Upgraded Nato Suit", bearing Part Numbers: DEB-UN-01-00 to DEB-UN-08-00 (Eight Sizes) designed and developed by M/s Defence Bioengineering & Electromedical laboratory (DEBEL), DRDO, PB No. 9326, CV Raman Nagar, Bengaluru-560093 and manufactured by M/s Aeronav Industrial Safety Appliances, E-24/25, Sector-VII, Noida-201 301 and M/s Next Millenium, E-153, Greater Kailash, Part-II, New Delhi-110048 is hereby Type Approved/Renewed as per Approved Component Build Standard (ACBS) defined vide Document ref No.: DBL/ACBS/4/UNS-1/ANISA, dated: 04th July 2019 and Technical Specification No. DEBEL/69/2010 dated Feb 2010 approved by RCMA (Aircraft). The basis for this Type Approval and the relevant Airworthiness Approval information are described in the 'Type Approval Data Sheet' at Appendix A.

यह अनुमोदन निबंधन और शर्तों के अधीन तथा पृष्ठ के दूसरी ओर उल्लेखित संशोधन सहित नवीकरण विवरणों के अनुसार जारी/नवीकृत किए गए दिनांक से (01-08-2019 से 31-07-2024 तक) पाँच (05) वर्ष के लिए वैध है।

This approval is valid for a period of five (05) years from the date of issue/ renewal (from 01-08-2019 to 31-07-2024) subject to terms, conditions and renewal cum amendment details mentioned overleaf.

सं. /No.: सेमिलैक/CEMILAC/5070/ए.टी/TA-...1995

दिनांक / Date : 20th Aug 2019

फैक्स सं. / Fax No.: 080-2523 0856

Format as per: CEMILAC/TCS/5070, dated: 22nd March 2019

Kia. 28

APVS Prasad

ए पी वी एस प्रसाद / APVS Prasad

वैज्ञानिक 'जी' / Scientist 'G'

मुख्य कार्यपालक (उड़नयोग्यता)

Chief Executive (Airworthiness)